

पश्चिम मध्य रेलवे

सं. WCR/P-WRS/135/7/4 भाग-VIII

कार्यालय, मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, प.म.रे.
कोटा पिन नं. 324002 (राज.)

दिनांक : 27/11/2018

विज्ञापन क्रमांक सं. 01/2018-19 माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा

अधिसूचना

विषय:- अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की
Engagement -पश्चिम मध्य रेल, कारखाना, कोटा।

अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा में 160 एक्ट प्रशिक्षुओं को Engagement हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। यदि अधिसूचना में उल्लेखित कोई आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किया गया होगा तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों से प्रशिक्षुओं की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी :-

क्र. सं.	ट्रेनिंग का स्थान	ट्रेड	कुल पदों का योग	सागान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	विकलांग			भू.पू. सैनिक	एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आई.टी.आई.
								HH	VH	OH		
1.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	फिटर	70	36	10	05	19	01	01	-	02	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
2.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	वैल्डर (GAS & Electric)	66	33	10	05	18	01	-	01	02	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा वैल्डर (G&E) ट्रेड में ITI उत्तीर्ण

3.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	COPA	03	02	00	00	01	-	-	-	-	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा COPA ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
4.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	पेन्टर	11	05	02	01	03	-	-	-	-	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा पेन्टर ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
5.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	मशीनिष्ट	10	04	02	01	03	-	-	-	-	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा मशीनिष्ट ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
कुल =			160	80	24	12	44	02	01	01	04	

- 1-1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे। विकलांगों के लिए आरक्षण नियमानुसार दिया जायेगा।
- 1-2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी, उनके बच्चों तथा आर्म फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 3 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे (i) प्रभावित/अपंग भूतपूर्व सैन्य कर्मचारियों के बच्चों जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित/अपंग भूतपूर्व सैन्य कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हैं, (ii) भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे, (iii) सेवारत जवानों के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे, (v) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी।
- 1-3 सामान्य समुदाय के पदों में विकलांग, भू.पू.सैनिकों का कोटा सम्मिलित है। यदि उपयुक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग, भू.पू.सैनिक एवं विकलांग कोटे के आरक्षित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो उन पदों को अनारक्षित उम्मीदवार से भरा जाएगा।
- 1-4 जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में किसी संस्थान से एकट अप्रेंटिस 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है वह आवेदन करने का पात्र नहीं है।

2 आयु सीमा :-

- 2-1 दिनांक 27/11/2018 को उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु पूर्ण किया तथा 24 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिए।
- 2-2 अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को 05 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
- 2-3 अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयुसीमा में छूट दी गई है।
- 2-4 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

2-5 भूपू.सैनिकों को नियमानुसार छूट देय है।

3 **शैक्षणिक योग्यता :-**

मुख्यालय के निर्देशानुसार भर्ती किये जाने वाले एक्ट अप्रेंटिस 1961 की स्लोट का 20प्रतिशत पदों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण से भरे जायेंगे। शेष पदों के लिए साथ में संगत ट्रेड में आई टी आई होना अनिवार्य है।

4 **प्रशिक्षण अवधि:-**आरडीएटी/फरीदाबाद के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार।

5 **पारिश्रमिक/स्टाईफण्ड :-**वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6 **आन लाइन आवेदन करने का तरीका**

आवेदन पत्र एमपी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जायेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को रु.100 प्रक्रिया शुल्क के रूप में तथा रु. 70+18प्रतिशत जीएसटी एमपी आनलाइन पोर्टल शुल्क के रूप में भुगतान आन लाइन करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया शुल्क में छूट है, इनसे सिर्फ पोर्टल शुल्क के रूप में रु.70 + 18प्रतिशत जीएसटी लिया जायेगा। इच्छुक उम्मीदवार www.mponline.gov.in वेबसाइट में जाकर home page में application option में जाकर west central railway click करें।

6-3 आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आश्चर्य होना चाहिए कि वे योग्यता तथा अन्य अर्हता पूरे कर लिए हैं। अपेक्षित योग्यता पूरा नहीं होने पर मुख्य कारखाना प्रबन्धक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा यदि भूलवश भी भर्ती हो गई हो तो उन उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

6-5 सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए तथा उस पर मुहर लगी होने चाहिए एवं सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए।

7 **अन्तिम तिथि:-** On line आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31-12-2018 समय 17-00 बजे तक वैध है।

9 **भर्ती की प्रणाली :**

9-1 एक्ट अप्रेंटिस का चयन 10वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) के प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा।

9-2 अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा।


9-3 उम्मीदवारों की अन्तिम सूची बद्धता कारखाना, कोटा के लिए प्रयोज्य उपयुक्त चिकित्सा जाँच के बाद ही होगी।

9-4 सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9-5 होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नोट:- यदि चयन के समय भर्ती प्रक्रिया में नितिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

- 10 एकट प्रशिक्षण का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारन्टी नहीं है।
- 11 ट्रेनिंग का करार :-
- 11-1 उपर्युक्त पदनाम वाले ट्रेडमार्क से अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्पलायर के साथ अप्रेंटिसशिप का करार करना होगा।
- 12 चिकित्सा परीक्षण :-
- 12-1 रेलवे द्वारा मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु चयनित माना जाएगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि में अनुत्तीर्ण हुआ तो उसकी शिक्षता समाप्त कर दी जाएगी एवं उसका कोई भी मुआवजा/कम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा।
- 12-2 प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षता करार समाप्त हो जाएगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारन्टी नहीं है।
- 13- उम्मीदवारों के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचनाएं दी है तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये निकाल दिया जाएगा।
- 14- प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबन्ध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।


27/11/18
निर्माण प्रबन्धक(आर) एवं
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(कार्यवाहक),
कारखाना, कोटा

प्रतिलिपि:-

महाप्रबन्धक (स्था./यांत्रिक),पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर/म.रे.प्र.(स्था.) कोटा/भोपाल/जबलपुर।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सा.डि.पु.का.-भोपाल। जिला नियोजन अधिकारी, कोटा/जिला सैनिक बोर्ड कोटा
अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ, कोटा। अखिल भारतीय एससी/एसटी एम्पलाईज एसो. रेलवे स्टेशन कोटा जं.।
मुख्य कार्यालय एवं शॉप कार्यालय नोटिस बोर्ड। वरि.स.वि.सला.(का.)कोटा/उप भण्डार नियंत्रक(का.)कोटा/ सहा.नि.प्र.
(बिजली)कोटा। पोस्ट कमाण्डर रे.सु.बल (का.) कोटा।
एसएसई- मिरा./यार्ड/लुहार/मशीन/निरीक्षण/पीसीओ/योजना/पहिया/सीटीआरबी/ आरबी/बीआर/
उत्थापन/एलपीजी/बॉक्स/पेन्ट/प्रयोगशाला/बीटीसी/सीडीआर/आई.एस.ओ./ सेफ्टी/मोडनाईजेशन/कार्य।
मु.का.अ.स्था.-1,2,3,4, गोपनीय/आरक्षण/सामान्य/टाइपिंग/बजट/डब्ल्यू-4, 2/यूनियन/कम्प्यूटर/डीएआर/
समय कार्या./ कल्याण अनु./जेनीटर/केन्टीन मैनेजर (का.) कोटा।
सचिव, वे.से.रे.ए.यू./वे.से.रे.म.संघ/ओबीसी/एससी-एसटी एसो.(का) कोटा।
क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय तीसरी मंजिल-"ए"विंग न्यू सीजीओ भवन एनएच-4, फरीदाबाद 121001 (हरियाणा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड D.B.City Corporate Park, Arera Hills Opp. ZONE-1
भोपाल (M.P.)-462011 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(By Speed Post)